.....

.....बनाम.....

नं. .....

20/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/11/25
को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

19/12/25

पत्रावली प्रार्थी रामगोपाल के आवेदन पत्र के संबंध में पत्रावली सुनवाई पर आज पक्षों से पूर्व पेश हुए। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना अस्वीकार किया। अतः प्रार्थी / वकील प्रार्थी के अनुरोध पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया प्रार्थी को प्रेम से लौटाया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय अद्य दिनांक 19/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ
रामगोपाल
पत्रावली
19/12/25